


समक्ष : न्यायालय माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर, ग्वालियर म.प्र.
प्र.क्र. 7237-I 16



1. जगदीश प्रसाद बबेले आत्मज स्वर्गीय गया प्रसाद बबेले आयु लग. 70 वर्ष
श्रीमति लीला देवी पत्नी श्री जगदीश प्रसाद बबेले आयु लग. 64
दोनो शिवासी गुरुनानक वार्ड कटनी तहसील व जिला कटनी

अपीलार्थीगण

विरुद्ध

1. मध्यप्रदेश शासन द्वारा जिला पंजीयक कटनी जिला कटनी
शिवासी-जिला पंजीयक कार्यालय कटनी जिला कटनी
2. श्रीमति अर्चना गुप्ता पत्नी श्री अमरचंद्र गुप्ता
निवासी बी 63 / 6 / 5 दीप नगर महमूर गंज वाराणसी उ.प्र.

प्रत्यथीगण

अपील अंतर्गत धारा 47 (क) (5) भारतीय स्टाम्प अधिनियम

अपीलार्थीगण सविनय निवेदन करते हैं

न्यायालय कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर के प्र.क्र.235बी/105/
14-15 मे दिनांक 01/09/2016 को पारित आदेश से दुखित व छुब्द होकर यह अपील
माननीय राजस्व मंडल के समक्ष प्रस्तुत है

अपील / प्रकरण के तथ्य

यह कि अपीलार्थी ने प्रत्यथी क्रमांक 1 के द्वारा प्र.क्र.61बी/105(106)/11-12 मे
दिनांक 25/07/12 को पारित किये गये विधि विपरीत आदेश के विरुद्ध अपील क्रमांक
235 बी/105/14-15 कमिश्नर जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई थी जिसमे अपीलार्थीगण
ने विधिक एवं तथ्यात्मक आधार लिये थे की उपपंजीयक कटनी द्वारा संपत्ति का जो मूल्यांकन
किया गया था उसमें मनमाने तरीके से वृद्धि कर जिला पंजीयक महोदय ने मूल्यांकन किया
है जिसका कोई विधिक आधार नहीं है। यहाँ यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि विक्रय पत्र
में उल्लिखित मूल्य ही वास्तविक मूल्य है और वही पक्षकारों मध्य लेन - देन हुआ है फिर भी
उपपंजीयक कटनी ने विक्रय पत्र के मूल्य के अतिरिक्त मूल्यांकन किया और उससे भी आगे
जाकर जिला पंजीयक ने उपपंजीयक से भी अधिक मूल्यांकन किया जो विधि विपरीत है

क्रमशः.....2

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]


राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी / 7237 / एक / 2016

जिला-कटनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
8-217	<p>यह निगरानी आवेदक द्वारा कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर के प्रकरण क्रमांक / 235 / बी-105 / 2014-15 में पारित आदेश दिनांक 01.09.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में मुख्य रूप से अपीलार्थीगण का यह आधार है कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा प्र0कं0 / 61 / बी-105 / 2011-12 में दिनांक 25.07.2012 को पारित आदेश विधि सम्मत नहीं है तथा विधि के मान्य सिद्धांत एवं अज्ञापक नियमों के विपरीत आदेश पारित किया गया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। प्रकरण में यह भी आधार लिया गया है कि आयुक्त जबलपुर के समक्ष प्रकरण क्रमांक / 235 / बी-105 / 2014-15 में दिनांक 30.08.2016 से दिनांक 21.11.2016 को नियत किया गया था, नियत तिथि के पूर्व दिनांक 01.09.2016 को अपीलार्थी का पक्ष सुने बिना अभिलेख का अवलोकन किये बिना खानापूर्ति हेतु प्रश्नाधीन आलोच्य आदेश 01.09.2016 को पारित किया गया है यह आदेश भी स्थित रखे जाने योग्य नहीं है उभयपक्ष के विस्तृत तर्क सुने गये अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया जिसमें विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या जिला पंजीयक कटनी द्वारा प्रकरण क्रमांक / 61 / बी-105 / 2011-12 दिनांक 25.07.2017 को पारित आदेश एवं संभागायुक्त जबलपुर के प्रकरण क्रमांक / 235 / बी-105 / 2014-15 में पारित आदेश दिनांक 01.09.2016 विधि सम्मत नहीं है। कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के प्र0कं0 / 61 / बी-105 / 2011-12 में आदेश पत्रिकाओं के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि दिनांक 23.02.2012 को साक्ष्य हेतु प्रकरण नियत किया</p>	







गया है उसके बाद विभिन्न दिनांकों में अनावेदक/अपीलार्थी को सूचना पत्र जारी हो यह निर्देश दिये गये, लेकिन अपीलार्थीगण को सूचना पत्र जारी हुआ हो और उन्हें प्राप्त हुआ हो ऐसा कोई दस्तावेज अभिलेख पर नहीं है और उसे साक्ष्य का अवसर दिया गया हो और तर्क का अवसर दिया गया हो यह भी अभिलेख से स्पष्ट नहीं है, उपपंजीयक द्वारा स्थल परीक्षण रिपोर्ट दिनांक 23.07.2012 को प्रस्तुत होना आदेश पत्रिका में उल्लेखित है यहां यह भी विचारणीय है कि दिनांक 26.06.2012 को प्रकरण अनावेदक/अपीलार्थी को सूचना देकर उपस्थिति हेतु दिनांक 25.07.2012 के लिये नियत किया गया है और दिनांक 25.07.2012 को प्रश्नाधीन आदेश पारित किया गया है जिससे यह सुस्पष्ट है कि जिला पंजीयक के द्वारा अपीलार्थीगण को प्रकरण में साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान किये बिना और न ही तर्क सुने गये बिना ही आदेश पारित किया गया है तथा आदेश पारित किये जाने की भी कोई सूचना अपीलार्थी/अनावेदकगण को दी गई हो ऐसा अभिलेख से प्रकट नहीं है। उपपंजीयक कटनी का स्थल प्रतिवेदन दिनांक 20.07.2012 का सूक्ष्म अलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन संपत्ति भूखण्ड के रूप में है, दूर-दराज आवासीय मकान बने हैं भूखण्ड घनी आबादी में नहीं है संपत्ति का विवरण विलेख के अनुसार सही है। तथा प्रश्नाधीन भूखण्ड सार्वजनिक संस्थानों से बाजार से आवागमन सड़क से दूर है ऐसी स्थिति में जिला पंजीयक द्वारा स्थल प्रतिवेदन पर भी विचार न कर आलोच्य आदेश पारित किया गया है। प्रश्नाधीन संपत्ति का बाजार मूल्य 22,55,000/- रुपये किस आधार पर एवं किस साक्ष्य पर किस आधार पर आधारित किया है इसका उल्लेख नहीं है और बिना किसी विधिक आधार के अपीलार्थीगण को 120000/- रुपये कमी मुद्रांक शुल्क अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क अदा किये जाने का आदेश किया गया है उक्त आदेश को संभागायुक्त जबलपुर, ने प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 01.09.2016 के द्वारा पुष्ट भी किया गया है जो विधि सम्मत नहीं है। यहाँ यह

विचारणीय है कि अपीलार्थी को साक्ष्य का अवसर नहीं दिया गया है तब साक्ष्य के बिना, तर्क श्रवण किये बिना अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क अदा करने का आदेश विधि सम्मत नहीं माना जा सकता। नरेन्द्र कुमार जैन वि० म० प्र० राज्य आर० एन० 2012 में राजस्व मण्डल द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि केवल मार्ग दर्शिका के आधार पर बाजार मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता इसी तरह 2009 आर० एन० 64 सालिगग्राम वि० म० प्र० राज्य के निर्णय में यह निर्णीत किया गया है कि साक्ष्य अभिलिखित नहीं की गई, विवादित संपत्ति के निकट की संपत्ति का विक्रय पत्र नहीं देखा गया खानापूरि करने के लिये आदेश दिया गया है जो विधि की दृष्टि में दोषपूर्ण है, राजस्व निर्णय 2011 पेज 261 माया देवी विरूद्ध राज्य के निर्णय में स्पष्ट किया गया है कि प्रमाण भार राज्य पर है राज्य के द्वारा साक्ष्य दी जाना चाहिए केवल प्रतिवेदन के आधार पर बाजार मूल्य अवधारित नहीं किया जा सकता, 2010 राजस्व निर्णय 406 अग्रवाल वि० राज्य में यह निर्धारित किया गया है कि विक्रेताओं को सूचना पत्र नहीं साक्ष्य पर विचार नहीं किया गया 1992 राजस्व निर्णय 86 अनिल विरूद्ध राज्य में यह अवधारित किया गया है कि रजिस्ट्रार का प्रतिवेदन भूमि के मूल्य संबंधी सूची मात्र अभिकथन है जिन्हे प्रमाणित किये बिना मूल्यांकन का आधार नहीं बनाया जा सकता। ऐसी संपत्ति की मूल संबंधी सूची, प्रतिवेदन ग्राह्य नहीं है इसी तरह 1997 राजस्व निर्णय 118 प्रकाश सिवले (डाक्टर) वि० राज्य में यह निर्णीत किया गया है कि विक्रीत संपत्ति विकसित क्षेत्र में नहीं है उसका सही मूल्यांकन नहीं किया गया माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा खण्डपीठ के निर्णय लार्सन एण्ड टूबो वि० म० प्र० राज्य माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा यह निर्णीत किया गया है कि कलेक्टर द्वारा जारी की गई मार्ग दर्शिका को बाजार मूल्य अवधारणा के लिये आधार नहीं बनाया जा सकता है।


उक्त न्याय दृष्टांतों के अध्ययन एवं हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का सूक्ष्म अवलोकन एवं संलग्न प्रपत्रों





के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि जिला पंजीयक कटनी एवं संभागायुक्त जबलपुर द्वारा पारित किये गये आलोच्य आदेशों में विधि एवं सुस्थापित न्याय सिद्धांतों तथा आज्ञापक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है विधि अनुसार अपीलार्थी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया अनावेदक की आर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये तब दस्तावेज की लिखित पर अविश्वास कर कोई कारण नहीं है जबकि दस्तावेज की लिखित सही होना प्रतिवेदन में भी कथित किया गया है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की खण्डपीठ एवं राजस्व मण्डल द्वारा उपरोक्त वर्णित न्याय दृष्टांतों के आलोक में कलेक्टर ऑफ स्टॉम्प कटनी द्वारा प्रकरण क्रमांक/61/बी-105/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 25.07.2012 एवं आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के द्वारा अपील क्रमांक/235/बी-105/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 01.09.2016 अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा प्रश्नाधीन विक्रयपत्र उचित रूप से स्टाम्पित कर प्रस्तुत किया गया है और पंजीयत किये जाने योग्य होने से उचित स्टाम्पित घोषित किया जाता है।



सदस्य

राजस्व मण्डल, ग्वालियर

1/12